



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 18 जून, 2026 ई०

ज्येष्ठ 28, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या- 406265 / ix-1 / 2026 / E-55075-246 / IX-1 / 2004

देहरादून, 18 जून, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) संपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-56 के उपनियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु श्री संजय अरोड़ा पुत्र श्री रामलाल, रामनगर, रुड़की, जनपद-हरिद्वार एवं श्री उत्कर्ष राठौर पुत्र श्री मोहन लाल, रायपुर रोड, डी०-1/1, बंगलो एरिया, देहरादून को गैर सरकारी सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

बृजेश कुमार सन्त,
सचिव।